उस ज्ञापन की मांगों से आप परिचित हैं और अगर परिचित हैं तो उस ज्ञापन की मांगों पर आपने क्या कार्रवाई की? उनकी जो प्रमुख मांग थी, जिसे वे बहुत लम्बे अर्से से कर रहे हैं, वह यह थी कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक का गठन किया जाए, जिसकी आप लगातार उपेक्षा कर रहे हैं। उनकी दूसरी जो सबसे बड़ी मांग थी, वह यह थी कि हमारे संविधान के विरुद्ध, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध जो जन विरोधी अनुशंसाएं चेलापति राव कमेटी ने की हैं, चेलापति राव कमेटी की उन अनुशंसाओं को क्या आप रद्द करने जा रहे हैं या नहीं?

श्री जसवंत सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने जानना चाहा है कि क्या आपको जानकारी है? हां, मुझे जानकारी है और ऐसी मीटिंग हुई थी। फिर उन्होंने पूछा है कि क्या आपको जानकारी है कि आपको एक ज्ञापन दिया गया था? हां, मुझे जानकारी है। फिर पूछा गया कि क्या मुझे जानकारी है कि उसमें उनकी मांगें क्या थीं? हां, मुझे जानकारी है। ....(**व्यवधान**)... अगर मुझे ज्ञापन दिया गया है तो मुझे तो जानकारी होगी ही। ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों से मैं मिला भी था। चेलापति राव की कुछ अपनी मान्यताएं हैं, हम उनको स्क्रेप करने नहीं जा रहे हैं। रहा सवाल नेशनल रूरल बैंक का, जिस पर काफी दिनों से विचार हो रहा है, मैं पुन: इस मसले पर विचार करके इसकी जांच करवाऊंगा कि नेशनल रूरल बैंक स्थापित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता।

**383 [The questioner (Shri Anil Sharma) was absent for answer vide page 31].*

**384 [The questioner (Shri Mati Lal Sarkar) was absent for answer vide pages 31-32].*

Inspection of Central and State Co-operative Banks by NABARD

*385. SHRI ABANI ROY: Will the Minister of FINANCE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether NABARD has conducted statutory inspection under Section 35 of the RBI Act in regard to Central and State Cooperative Banks;

(b) if so, the details of the irregularities noticed by NABARD; and

(c) whether NABARD has further taken any action in this regard and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): (a) to (c) A Statement is placed on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes, Sir. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) has conveyed that it had observed irregularities during 2001-02, of which the major are:

(1) Poor recovery performance resulting in high overdues and non-performing assets.

(2) Non-compliance with the various provisions of Banking Regulation Act, 1949 (As Applicable to Co-operative Societies), like Cash Reserve Ratio (CRR), Statutory Liquidity Ratio (SLR) norms (Sections 18 and 24), etc. As also with Section 11 (1), i.e., maintaining real or exchangeable value of Paid-up Share Capital and reserves not less than Rs. 1 lakh.

(3) Non-compliance with "income recognition and asset classification and provisioning norms" prescribed with Reserve Bank of India (RBI).

(4) Poor internal checks and controls, non-reconciliation of inter-branch accounts and absence of periodic balance of books of accounts, lack of professionalism in managing the affairs, non-adherence to the stipulated norms of RBI while trading in government securities, defaults to higher financing agencies, defective loan policy and procedures, defaults in maintenance of norms like minimum involvement, exposure norms, etc.

(c) Major irregularities were conveyed to the banks after inspection, and then followed up through a clearly defined process of seeking a compliance report. In addition the inspecting officer holds a meeting with the Board of Directors/Chief Executive Officer of the bank to discuss the major findings and efforts needed on the part of the bank for their rectification. Further, the chief executive of the bank along with the Registrar of Cooperative Societies are invited for discussions on core

issues on the inspection findings. The inspection report is also forwarded to the State Government for appropriate action, followed with a special note indicating the areas which require remedial action by the State Government. The on-site inspection is supplemented by off-site surveillance through prescribed returns on an annual/half-yearly basis. NABARD also issues early warning signals to banks wherever required.

SHRI ABANI ROY: Mr. Minister, I know that NABARD has got the right to inspect. But they don't have the right to penalise anyone. I would like to know whether you are planning to give such an authority to NABARD.

SHRI JASWANT SINGH: Mr. Chairman, sir, I, really, have not followed what the query of the hon. Member was.

SHRI ABANI ROY: Today, NABARD has the right to conduct inspection. I would like to know whether you are planning to give any right to them to take penal action.

SHRI JASWANT SINGH: They have the right to regulate, of which inspection is a part. They have the implicit right to take corrective actions.

SHRI ABANI ROY: The question arises because they are inspecting every two years. If, after inspection, they find that there is some irregularity, and if they dont have any right to penalise the erring ones, then what happens?

SHRI JASWANT SINGH: This authority is vested in them, as I have stated in my reply. It is vested in the institution of NABARD. If the hon. Member's suggestion is that the inspection should be more frequent, as aganist every two years at present, then, we will consider that suggestion.

श्री संजय निरुपम: चेयरमैन सर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से एकदम सीधा सवाल पूछना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में कोआपरेटिव बैंकों में गवर्नमेंट सिक्युरिटी की ट्रेडिंग में बहुत बड़ी हेरा-फेरी हुई थी और लगभग 800 करोड़ रुपए की महाराष्ट्र में यह हेरा-फेरी थी। उस मामले में भी नाबार्ड ने इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार की थी। मेरे ख्याल से जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपने दी है, जो उनकी रिकमेंडेशन्स बताई हैं, जो उनकी फाइंडिंग्स बताई हैं, वे काफी हद तक महाराष्ट्र के कोआपरेटिव बैंकों में जो कुछ हुआ है, उससे जुड़ी हुई हैं। आपने बताया कि निरीक्षण रिपोर्ट राज्य सरकारों को उचित कार्रवाई के लिए अग्रेषित की जाती है, जिसके बाद एक विशेष टिप्पणी

भेजी जाती है। राज्य सरकार को नाबार्ड की रिपोर्ट भेज दी गई लेकिन राज्य सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। जितने भी कोआपरेटिव बैंक्स के स्केम हुए हैं, सारे कोआपरेटिव बैंकों के जो चेयरमैन थे, वे राज्य सरकार में शमिल एक सत्तारूढ़ दल के पदाधिकारी हैं, उनके नेता हैं, उनके एम.एल.ए. हैं, उनके मंत्री हैं ...

श्री सभापति: आपका सवाल है कि कोई एक्शन लिया है या नहीं लिया है।

श्री संजय निरुपम: ऐसी स्थिति में मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि राज्य सरकारों के भरोसे छोड़ने की बजाए इतने बड़े स्केम की सी.बी.आई. के जरिए जांच की मांग की जानी चाहिए और यह मांग हमने पिछले से पिछले सत्र में की थी और उस समय के माननीय वित्त मंत्री महोदय ने तब यह आश्वासन दिया था कि इस बारे में हम विचार करेंगे। महाराष्ट्र के कोआपरेटिव बैंकों में जो 800 करोड़ रुपया डूब चुका है, क्या माननीय वित्त मंत्री महोदय उसकी जांच कराने के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से कोई पहल करेंगें।

श्री जसवंत सिंह: सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि एक तरह से यह महाराष्ट्र या किसी राज्य विशेष से परे का प्रश्न है। सहकारी बैंकों की जो सबसे बड़ी कठिनाई है, चाहे वह महाराष्ट्र में हो या अन्य किसी राज्य में हो, वह है एक किस्म का dual control. उनकी सारी व्यवस्था में यह कठिनाई निहित है। Dual control. में राज्य सरकारें आती हैं और रिजर्व बैंक आता है। वित्त मंत्रालय का सदा से यह विचार रहा है कि जब तक यह duality समाप्त नहीं होगी, तब तक रह-रहकर सहकारी बैंकों में इस प्रकार की अव्यवस्थाओं के जो समाचार आते हैं या वास्तव में ऐसी अव्यवस्था होती है, उसका स्थाई समाधान नहीं हो पाएगा। विशेष बैंकों के बारे में आपने जो कहा है, चाहे वह महाराष्ट्र हो या अन्य कोई राज्य हो, निश्चित रूप से रिजर्व बैंक आफ इंडिया उस मामले में पूरी कार्यवाही करेगा।

श्री संजय निरुपम: उसमें हुआ नहीं है कुछ ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: I will not allow. ....*(Interruptions)*... There is no question. ...*(Interruptions)*...

श्री सतीश प्रधान: आप सुन लीजिए।

श्री सभापति। मैं सुन लूंगा, आप बैठिए पहले ...(**व्यवधान**)... आप एक सीनियर मेंबर हैं, आपको मैं कहूं कि बैठ जाइए, तो अच्छा नहीं लगेगा।

श्री संजय निरुपम: चेयरमैन साहब, कोई जांच नहीं हुई है और सारा का सारा पैसा डूब गया है ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: यह इससे मतलब नहीं रखता है।

श्री संजय निरुपम: राज्य सरकार पूरे मामले को दबाने के चक्कर में है। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही हो, यह हमारा निवेदन है।

श्री सभापति: राज्य सरकार से आपका विरोध है तो इस क्वश्चिन के माध्यम से उसे प्रकट करना और मंत्री महोदय की सहायता आप उसमें नहीं ले सकते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय निरुपम: नहीं, राज्य सरकार से कोई विरोध नहीं है। मुद्दा यह है कि गरीब किसानों को नुकसान हुआ है ...(व्यवधान)...

श्री जसवंत सिंह: मैं एक जानकारी देना चाहता हूं। मैं इतनी गहराई या डिटेल में नहीं जाना चाहता लेकिन यह कह देना कि कोई कार्यवाही नहीं हुई है, यह अतिशयोक्ति होगी। जो कमिश्नर आफ कोआपरेटिव्ज हैं, उन्होंने रिजर्व बैंक के आदेश पर कई बैंकों के चेयरमैन और उनके बोर्ड को सुपरसीड किया है। इसमें नागपुर, उस्मानाबाद, वर्धा इत्यादि शामिल हैं।

श्री संजय निरुपम: मंत्री जी, अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं की गई है। ...(**व्यवधान**)... जब चार्जशीट ही फाइल नहीं की गई है तो पूरे मामले की जांच आगे नहीं हो सकती ...(**व्यवधान**)... सिर्फ सुपरसीड किया गया है, चार्जशीट फाइल किये बिना कार्यवाही कैसे होगी? अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया। उसके बाद जो न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए, मामला चलाया जाना चाहिए, मामला नहीं चल रहा है ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: अब आप बैठ जायेंगे तो अच्छा रहेगा।

प्रो॰ अलका क्षत्रिय: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि पिछले एक-दो साल से गुजरात के अंदर एक के बाद एक करके 15 बैंक बन्द हो गए हैं। मैं भी एक बैंक चलाती हूं, इसलिए मुझे भी थोड़ा सा मालूम है। हर महीने एक से दस तारीख के अंदर हमें रिज़र्व बैंक को रिकॉर्ड भेजना होता है। जो रिकॉर्ड भेजा जाता है, जो अधिकारी उसे देखता है, इस घोटाले में वह भी शामिल है। अगर वह उस रिकार्ड को ठीक तरह से देखता तो यह घोटाला नहीं होता।

श्री सभापति: अब आप सवाल पूछ लीजिए। मंत्री जी, गुजरात के बारे में कोई जानकारी हो तो दे दीजिए।

प्रो॰ अलका क्षत्रिय: मैं बैंक के बारे में बताती हूं, मेरा प्रश्न बैंक के बारे में ही है। रिजर्व बैंक को हम जो रिकॉर्ड भेजते हैं, वह जिस अधिकारी को देखना होता है, उसने वह देखा नहीं या रजिस्ट्रार ने भी कुछ देखा नहीं और बैंक को जो चलाने वाले हैं, वे भी इसमें शामिल हैं, तीनों

इसमें शामिल हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या आप रिजर्व बैंक के अधिकारी के खिलाफ या रजिस्ट्रार के खिलाफ भी कोई ऐक्शन लेना चाहते हैं या नहीं? आपने इसके बारे में कुछ सोचा है या नहीं?

श्री जसवंत सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जानकारी अधिक दी है, प्रश्न कम पूछा है। स्वाभाविक था कि हम छलांग लगाकर महाराष्ट्र से गुजरात पहुंच गए। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जो भी जानकारी हमें मिलती है, वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक उस पर समुचित कार्यवाही करते हैं।

प्रो॰ अलका क्षत्रिय: दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई ऐक्शन लिया गया है? ...(व्यवधान)...

Multiple Tax System

*†386. SHRI C. RAMACHANDRAIAH:
SHRI BHAGATRAM MANHAR:

Will the Minister of FINANCE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether government are aware that multiple tax system and several other levies are cramping the growth of industrial sector in the country;

(b) if so, whether Government are contemplating to enact a law on ending multiple taxes, regulation ad standards; and

(c) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): (a) to (c) A statement is placed on the Table of the House.

Statement

No, Sir. the government is, however, committed to simplification and modernisation of the tax system.

In order to promote the growth of industries and improve their global competitiveness, the Government has, over the years, introduced wide-ranging tax reforms. These include progressive lowering of the rates of corporate tax, widening the coverage of the CENVAT system in respect of central excise duties, lowering of customs duty tariffs and reduction in

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shri C. Ramachandraiah.